



कार्यालय, अनुमंडल सह जिला कृषि पदाधिकारी, जामताड़ा।

(पौधा संरक्षण प्रभाग)

कृषक भाई/बहनों हेतु आवश्यक सूचना

जामताड़ा जिलान्तर्गत सभी कृषक भाई/बहनों को सूचित किया जाता है कि कृषि, पशुपालन एवं सहाकारिता विभाग के राज्यादेश सं०-37 दिनांक 23.07.2025 के आलोक में राज्य योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कृषि क्षेत्र में फसल उत्पादन एवं गुणवत्तायुक्त उत्पादकता को बढ़ाने हेतु फसल सुरक्षा योजना अन्तर्गत निम्नवत् आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है:-

क्र०	कार्य अवयव	लक्ष्य	अभ्युक्ति
1	प्रक्षेत्र प्रत्यक्षण	97 हेक्टेयर	
2	कृषक वैज्ञानिक अन्तरमिलन	संख्या- 01	प्रति कृषक वैज्ञानिक अन्तरमिलन में कम से कम 50 कृषक अनिवार्य है।
3	जिला स्तरीय युवा कौशल संवर्द्धन	संख्या- 01	जिला स्तरीय युवा कौशल संवर्द्धन पाँच दिवसीय प्रशिक्षण हेतु प्रति प्रशिक्षण अधिकतम कृषक की संख्या- 20 है। कृषक की अधिकतम उम्र- 40 वर्ष होगी।
4	पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण	संख्या- 43	पंचायत स्तरीय दो दिवसीय प्रशिक्षण हेतु प्रति प्रशिक्षण अधिकतम कृषक की संख्या- 30 है एवं कृषक की अधिकतम उम्र- 50 वर्ष होगी।
5	कीटनाशी विक्रेता हेतु प्रशिक्षण	संख्या- 40	कीटनाशी विक्रेता हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कीटनाशी का लाईसेंस आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

योजना के विभिन्न कार्य अवयवों का लाभ लेने हेतु इच्छुक कृषक/स्वयं सहायता समूह अपना आवेदन पंचायती राज संस्था के मुखिया/जनप्रतिनिधि/जिला परिषद् सदस्य से अनुशंसा कराकर आवश्यक कागजात यथा पहचान पत्र/आधार कार्ड/बैंक पासबुक विवरणी/मोबाईल नम्बर/जमीन का रकबा के साथ पूर्ण विवरणी संलग्न करते हुए आवेदन पत्र दिनांक- 03.11.2025 के संध्या 5:00 बजे तक अनुमंडल सह जिला कृषि कार्यालय, संयुक्त जिला कृषि भवन, सखेलडीह, जामताड़ा में जमा कर सकते हैं।

लाभुक का चयन पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।

अनुदान हेतु लाभुक चयन के लिए निम्नांकित न्यूनतम मापदण्ड आवश्यक होगा-

1. आवेदन पूर्ण रूप से भरा हुआ एवं सभी कागजात के साथ होगा।
2. आवेदन की प्रति मुखिया अथवा अन्य जनप्रतिनिधि द्वारा अनुशंसित किया हुआ हो।
3. आवेदक द्वारा पूर्व के तीन वर्षों तक इस योजना कार्य अवयव का लाभ नहीं लिया हो-
4. आवेदक के पास पर्याप्त भूमि हो तथा सब्जी, फल, फूल आदि की खेती करते हों।
5. आवेदक द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित आवेदन ही स्वीकार्य होगा।
6. लाभुक के चयन में FPO/प्रगतिशील कृषकों/महिला स्वयं सहायता समूह/सिंचाई सुविधा युक्त कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
7. विशेष परिस्थिति में किसी भी आवेदन को स्वीकृत करना या रद्द करने का अधिकार अनुमंडल सह जिला कृषि पदाधिकारी, जामताड़ा के पास सुरक्षित रहेगा, जिसपर किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

योजना की विस्तृत जानकारी अनुमंडल सह जिला कृषि कार्यालय, संयुक्त जिला कृषि भवन, सखेलडीह, जामताड़ा से प्राप्त की जा सकती है। आवेदन का प्रारूप atmajamtara.org.in पर उपलब्ध है।

अनुमंडल सह जिला कृषि पदाधिकारी,
जामताड़ा।



झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग,
(पौधा संरक्षण प्रभाग)

फोटो

सेवा में,

अनुमंडल सह जिला कृषि पदाधिकारी,
जामताड़ा।

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में फसल सुरक्षा कार्यक्रम योजनान्तर्गत
प्रशिक्षण/प्रत्यक्षण/परिभ्रमण कराने के संबंध में।

महाशय,

सादर सूचित करना है कि मैं..... पिता/पति.....
..... पंचायत..... प्रखण्ड..... जिला-जामताड़ा
का निवासी हूँ। मेरे पास कृषि याग्य कुल एकड़ भूमि है। मेरा आधार नम्बर.....
....., मोबाईल नं०..... है। फसल सुरक्षा कार्यक्रम योजनान्तर्गत
राज्य/जिला/प्रखण्ड/ स्तरीय प्रशिक्षण/प्रत्यक्षण/परिभ्रमण/कृषक गोष्ठी/कृषक वैज्ञानिक अंतरमिलन हेतु
इच्छुक हैं।

अतः मुझे फसल सुरक्षा कार्यक्रम से लाभान्वित करने का कृपा की जाय।

अनु०- आधार कार्ड।
जमीन का रसीद।

कृषक का हस्ताक्षर

जनप्रतिनिधि का हस्ताक्षर

पंचायत/प्रखण्ड/जिला स्तरीय
पदाधिकारी/कर्मि का हस्ताक्षर